प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 04.11.2025

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 95,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 04.10.2025 को साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम को आवेदिका श्रीमती नीतू शर्मा पत्नी श्री योगेश शर्मा निवासी 8/309 सेक्टर-03 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से कुल धनराशि 95,000/- रुपये साइबर फ्रॉड में ठगी गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदिका श्रीमती नीतू शर्मा पत्नी श्री योगेश शर्मा निवासी 8/309 सेक्टर-03 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ कुल धनराशि 95,000/- रुपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई कुल धनराशि 95,000/- रुपये की ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैंकों से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 03.11.2025 को आवेदिका उपरोक्त के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि 95,000/- रुपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा सर्किल मोदीनगर के थाना मोदीनगर, थाना निवाड़ी एवं थाना भोजपुर में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का विवेचकवार आयोजन कर थाना निवाड़ी का निरीक्षण किया गया।

दिनांक - 03.11.2025 को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध श्री केशव कुमार चौधरी द्वारा सर्किल मोदीनगर के थाना मोदीनगर, थाना निवाडी एवं थाना भोजपुर में लम्बित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश कक्ष का

विवेचक वार आयोजन किया गया जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर एवं थाना प्रभारी मोदीनगर, थाना प्रभारी निवाडी, थाना प्रभारी भोजपुर तथा सम्बन्धित थानों के विवेचक मौजूद रहे । इसके उपरान्त थाना निवाडी परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, पत्रावलियां, रजिस्टरों आदि को चेक किया गया तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु थाना स्तर की तैयारियों का जायजा लिया गया।

➡ तदोपरान्त महोदय थाना निवाडी के मिशन शक्ति के रजिस्टरों आदि की समीक्षा कर महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी अपराधों में थाना प्रभारी को समय समय पर फीडबैक लेने के निर्देश दिये गये।

➡ थाना परिसर व कार्यालयों का निरीक्षण कर थाना परिसर की साफ सफाई, कार्यालय, थाना परिसर में बने मिशन शक्ति केन्द्र, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, CCTN कक्ष, मालखाना आदि को चेक किया गया। निरीक्षण के दौरान महिला उत्पीड़न रजिस्टर, सहित अन्य अभिलेखों/पत्रावलियों का अवलोकन कर अभिलेखों को अध्यावधिक रखने के निर्देश दिये गये तथा महिला सम्बन्धी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने तथा शिकायत के सम्बन्ध में थाना प्रभारी के द्वारा फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए।

➡ विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए नये आपराधिक कानून के अन्तर्गत नियमानुसार साक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिये गए है।

➡ इस दौरान 06 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, सम्मन/वारण्टों का अधिक से अधिक तामीला कराये जाने के कड़े निर्देश दिये गए है। शातिर, अभ्यस्त व हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध अधिक प्रभावी कार्यवाही करते हुए गुण्डा, गैंगस्टर एक्ट, जिलाबदर की कार्यवाही कराते हुये हिस्ट्रीशीट खोलें। सक्रिय गैंग का पंजीकरण करने और पुरस्कार घोषित, गैंगस्टर में वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये।

➡ गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये।

➡ राजस्व से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न करें, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से राजस्व वादों को प्रतिदिन निपटाया जाए, अभियान चलाकर राजस्व वाद, वरासत, भूमि पैमाइश, बंटवारे इत्यादि के मामलों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।

➡ थाना समाधान दिवस रजिस्टर, सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर, रजिस्टर न0-4, शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर, H.S.रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर एवं राजपत्रित अधिकारी निरीक्षण कर रजिस्टर की प्रविष्टियों को अध्यावधिक कराने व शिकायतकर्ता से शिकायत के सम्बन्ध में थाना प्रभारी के द्वारा फीडबैक लेने के निर्देश दिए गये।

➡ सोशल मीडिया पर संवेदनशील सामग्री को पोस्ट, शेयर न करने तथा उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न करने हेतु लोगो को जागरूक करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➡ थाना निवाडी, भोजपुर, मोदीनगर के थानों से सम्बन्धित अभियुक्तों के डोजियर चैक किये गये तथा अध्यावधिक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा लम्बित 10 वर्षो में सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों डकैती, लूट, स्नैचिंग, चोरी, नकबजनी, गोवध में संलिप्त अपराधियों के अपराधिक इतिहास की समीक्षा कर सक्रिय अभियुक्तगण के विरूद्व बी0एन0एस0एस0 की निरोधात्मक धाराओं में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध महोदय द्वारा शासन की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए है साथ ही पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में पूर्ण अनुशासन बनाये रखते हुए कर्तव्य पालन किये जाने के निर्देश दिए गए है।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 154 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 03.11.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी करने वाले गांजा तस्कर अभियुक्त रिजवान पुत्र नत्थू निवासी अमन गार्डन अंजली सिटी लोनी गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष को देहरा हापुड से आने वाली गंगनहर किनारे चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 154 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी छुपकर दिल्ली से गांजा की तस्करी करता हूँ। दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दिल्ली के आस पास के यूपी क्षेत्र में मंहगे दामों मे बेच देता हूँ, इससे मुझे काफी आर्थिक लाभ होता है। आज मैं यह गांजा आस पास के क्षेत्र में फुटकर में लोगो को बैचने की फिराक में था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र नत्थू निवासी अमन गार्डन अंजली सिटी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 किलो 154 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.09.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सागर उर्फ छोटू पुत्र स्वः चन्दरसैन निवासी ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले जाना एवं पूर्व में अभियुक्त की मॉ ओमकलि द्वारा वादी को धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 137(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। तत्पश्चात पीड़िता को बरामद किया गया तथा मेडीकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64/87 बीएनएस व 5/6L पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 04.11.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुशोभित उर्फ सागर उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रसैन नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं करीब 03 वर्ष से पीड़िता को जानता हूँ, मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, मैने पीड़िता के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

सुशोभित उर्फ सागर उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रसैन नि0 ग्राम भिक्कनपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच द्वारा प्रतिबंधित Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 08 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद 12 टायरा ट्रक व 02 अदद आयशर कैंटर जिनमें बरामद प्रतिबंधित Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कुल 1,57,350 शीशीयाँ व एक क्रेटा कार UP14FB2244, 20 लाख रूपया नगद व 02 लैपटॉप व 10 मोबाईल, फर्जी मोबाईल सिम, मुहर व TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETS की कुल 19 स्टिप आदि दस्तावेज बरामद।

सोनभद्र पुलिस द्वारा दिनांक 18.10.2025 को पकडे गये COUGH SYRUP से सम्बन्धित अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में उक्त COUGH SYRUP दिल्ली और गाजियाबाद से सप्लाई होने की बात प्रकाश में आयी थी।

उक्त सूचना को सोनभद्र पुलिस द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस के साथ साझा किया गया तथा सोनभद्र से एक पुलिस टीम भी गाजियाबाद आयी। सोनभद्र पुलिस के इनपुट के आधार पर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में स्वाट टीम अपराध शाखा, नन्दग्राम पुलिस व सोनभद्र पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03/04.11.2025 की रात्रि में मेरठ रोड पर स्थित मछली गोदाम परिसर में बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम से कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वहां खडे 04 ट्रकों से कुल 1150 पेटी कफ सीरप जिसमें 850 पेटी Eskuf Cough Syrup तथा 300 पेटी Phensedyl Cough Syrup जिन्हे चूने के बोरो के बीच में छिपाकर रखा गया था, को बरामद किया गया । प्रत्येक पेटी में 100 मिलीग्राम की शीशी थी । इस प्रकार कुल 15735 लीटर सीरप बरामद हुआ । इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के कब्जे से एक क्रेटा कार नं0 यूपी 14 एफबी 2244, 20 लाख रूपये नगद, 02 लैपटॉप व 10 मोबाईल, फर्जी मोबाईल सिम, मुहर व TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETS की कुल 19 स्टिप आदि दस्तावेज बरामद किये गये। उक्त कार्यवाही के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त, नन्दग्राम तथा श्री रूद्रेश त्रिपाठी औषधि निरीक्षक गाजियाबाद भी मौजूद रहे।

उक्त कफ सीरप में कोडीन होता है, जोकि मादक द्रव्य की श्रेणी में आता है । कोडीन की एक किलो से अधिक की मात्रा होने पर परिवहन एवं भण्डारण हेतु समुचित प्रपत्र होना आवश्यक है, परन्तु अभियुक्तगण के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा सके । इसके अतिरिक्त बरामद वाहन की बुकिंग इन्दौर से गुवाहाटी हेतु चूने की सप्लाई हेतु बुक की गयी थी । इस प्रकार उक्त अभियुक्तगण द्वारा बिना किसी समुचित प्रपत्र के कूटरचित इ-वे बिल पर उपरोक्त कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी/ कालाबाजारी की जा रही थी । अभियुक्तगण द्वारा अलग-अलग फार्मा फर्मो की मुहर व लेटर पेड बनवाये गये है, जो कि मौके से बरामद हुये है ।

Eskuf Cough Syrup का उत्पादन लेबोरेट फार्मा, पोन्टा साहिब, हिमाचल प्रदेश तथा Phensedyl Cough Syrup का उत्पादन एबॉट फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश में होता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एबॉट फार्मा बद्दी द्वारा दिसम्बर 2024 से Phensedyl Cough Syrup का उत्पादन बन्द कर दिया गया था ।

बरामद 1573500 शीशी कोडीन युक्त कफ सीरप का कुल मूल्य लगभग 03 करोड 40 लाख रूपये है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सौरव त्यागी पुत्र मुकेश कुमार त्यागी निवासी मकनपुर शनि चौक के पास थाना इन्द्रापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष
2. शादाब पुत्र रियाजुद्धीन निवासी म0नं0 781 लाला प्रमोद वाली गली, कैला चौक कैला भट्टा, थाना कोतवाली नगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष
3. शिवकान्त उर्फ शिव पुत्र सियाराम निवासी ग्राम बेदीपुर, थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर हाल निवासी विपिन पाल का किराये का मकान, आम्रपाली स्कूल के पास कनावनी, थाना इन्द्रापुरम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष

4. संतोष भडाना पुत्र जयकार सिंह निवासी म0नं0 42 ग्राम गढी माजरा भट्टा नं0 05, थाना मधुबन बापूधाम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष

5. अम्बुज कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम नंगली साधारण, थाना दौराला, जनपद मेरठ, हाल पताः मछली गोदाम हरवंश नगर, थाना नन्दग्राम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

6. धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 पूरणमल सिंह निवासी ग्राम शेषपुर, थाना सुरापुरा, जनपद सुल्तानपुर उ0प्र0, हाल पता राजन ट्रांस्पोर्ट कंपनी लिवासपुर दिल्ली उम्र करीब 49 वर्ष

7. दीपू यादव पुत्र वृषभान यादव निवासी ग्राम जरवा, थाना जतारा, जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष

8. सुशील यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम जरवा, थाना जतारा, जनपद टीकमगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 35 वर्ष

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों में मुख्य अभियुक्त सौरव त्यागी है तथा संतोष भडाना इसका मुख्य ट्रांसपोर्टर है, जिसके गोदाम से उक्त माल को ट्रको में शिफ्ट किया गया था। अभियुक्त सौरव त्यागी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन कफ सीरप में कोडीन होने के कारण भारत व बांग्लादेश में नशे की सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में इनके विक्रय पर कई प्रतिबन्ध होने के कारण इनकी तस्करी व कालाबाजारी की जाती है। **इस कारोबार में मुख्य सरगना आसिफ व वसीम निवासी मेरठ तथा शुभम जायसवाल निवासी वाराणसी है, जिनके द्वारा देश के अलग-अलग भागों से उपरोक्त कफ सीरप को तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाता है**। एन.सी.आर में उक्त कफ सीरप को एकत्रित करने का कार्य सौरव त्यागी के द्वारा किया जाता था। सौरव त्यागी के पास आर.एस. फार्मा फर्म इन्दिरापुरम का लाइसेन्स है तथा इसके द्वारा विभिन्न फर्जी फार्मा कम्पनियों का लाइसेन्स लेकर वान्या इन्टर प्राइजेज, नई दिल्ली से कफ सीरप क्रय किये जाते थे। **वान्या इन्टर प्राइजेज नई दिल्ली, लैबोरेट फार्मा व एबॉट फार्मा हेतु carry and forward unit (वेयर हाउस) है, जहां उत्पादन के उपरान्त उक्त कफ सीरप स्टोर किये जाते है**। इसके उपरान्त उक्त कफ सीरप को मछली गोदाम परिसर में स्थित बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर रखा जाता था। इसके उपरान्त आसिफ व वसीम आदि द्वारा मांग के अनुसार सप्लाई हेतु बताये जाने पर सौरव त्यागी द्वारा अन्य पदार्थो के परिवहन के नाम पर ट्रक बुक कर उनके बीच में इन कफ सीरप को छिपाकर झारखण्ड, बंगाल, असम आदि प्रदेशों को भेजा जाता था, जहां से इनकी तस्करी की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्त शादाब और शिवाकांत सौरव त्यागी के कर्मचारी है, जिनके द्वारा उक्त कफ सीरप को ट्रको पर लोड कराने व रिकॉर्ड मेन्टेन करते थे। अम्बुज बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट में नौकरी करता है, जिसके द्वारा गोदाम में उक्त माल को छिपाया जाता था। अन्य अभियुक्तगण ट्रक चालक है, जिनके द्वारा कफ सीरप की तस्करी कर अन्यत्र ले जाया जाता था।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1. ESKUF COUGH SYRUP व PHENSEDYL COUGH SYRUP की कुल 1,57,350 शीशीयाँ
2. TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETS की कुल 19 स्टिप
3. 02 अदद 12 टायरा ट्रक व 02 अदद आयशर कैंटर
4. एक क्रेटा कार UP14FB2244
5. 20 लाख रूपया नगद
6. लैपटॉप- 02 अदद

7. मोबाईल – 10 अदद

8. फर्जी मोबाईल सिम- 10 अदद

9. मुहर- 07 अदद

10. दस्तावेज

आपराधिक इतिहास- अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2- थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

3- थाना रॉबर्ट्स गंज पुलिस सोनभद्र

पुरस्कार— पुलिस आयुक्त, महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50 हजार रूपये के नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गयी है।

साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 50000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 01.11.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री सुरेन्द्र यादव निवासी काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 50000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.10.2025 को श्री सुरेन्द्र यादव नि0 काशीराम आवास योजना थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 50000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 01.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल